न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी – अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 61/2024

Gcms No. 2024/59

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हर्षवर्धन पुत्र श्रवण कुमार नाबालिग जरिये वल्लीया माता रामप्यारी ज्याणी पत्नी श्रवणकुमार जाति जाट निवासी 126, गांव तलीया, पडासला तहसील बापिणी जिला फलौदी।		1. अचलाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी पडासला तहसील बापिणी जिला फलौदी 2. श्रवणकुमार पुत्र अचलाराम 3. जगदीश पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी पडासला तहसील बापिणी जिला फलौदी। 4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ओसियां 5. तहसीलदार बापिणी भूमिधारी राजस्थान सरकार।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :– श्री राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या(1से 04):– ओर से कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (5) की ओर से :– राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18/11/2025

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – ग्राम पडासला तहसील बापिणी के ा खसरा नम्बर 450 रकबा 0.6697 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 0.7122 टेयर, खसरा नंबर 455/2 रकबा 0.2550 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 1175/1 रकबा 342 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम सयुक्त सामलाती व एकल खातेदारी की स्थित जिसमें प्रार्थी का सम्पुर्ण पैत्रिक भूमि में नौशनल शेयर से बन्ट व हिस्सा हैं तथा ने हक–हिस्से की घोषणा करवाने एंव स्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र ाथ एक नियमित वाद धारा 88, 92–ए, 188 का पेश कर रखा हैं। जो विचाराधिन जेसमें प्रार्थी द्वारा अपनी पैत्रिक जमीन में हक–हिस्सा देने का आग्राह करने किया

सहायक कलेक्टर बापिणी

। लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा बन्ट व हिस्से करवाने से इन्कार कर दिया गया और
र्थी को वादग्रस्त खसरों से बेदखल करने की धमकी अप्रार्थीगण द्वारा दिये जाने पर
र्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय
ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये रजिस्टर्ड
क से समन भेज कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे समनों की डाक रसीदे
धिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल की गयी।
प्रार्थीगण को विधिनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयाप्त अवसर देते हुए
यपक्षकारान सुनवाई बाबत उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण सख्यां 01 ता 03 के
रुद्ध दिनांक 23.04.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा कर पत्रावली
स के लिए मुकर्रर की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैराज को दौहरातें हुऐ आग्राह
या कि प्रार्थी की पैत्रिक उक्त विवादग्रस्त खसरों में उभय पक्षकार अप्रार्थीगण के नाम
क भुमि दर्ज होने के कारण नाजायक फायदा उठाकर बेचान करने की फिराक में
और प्रार्थी के कब्जे कास्त एंव हक–हिस्से की भुमि से बेदखल करना चाहतें हैं। तथा
क सम्पति जो पडदादा भीखाराम के बाद दादा अचलाराम के नाम दर्ज हुई हैं। और
ा अचलाराम ने पैत्रिक जमीन खसरा नम्बर 455/2 में से बेचान कर देने पर
ान्तकरण संख्यां 2590 दिनांक 28.07.2022 को कर दिया अभी हाल ही में ओर बेचने
सौदा तय कर लिया हैं। तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण का उत्तराधिकारी हैं। जिसका
–हिस्सा दिये बगैर आगे बेचान नहीं करने और ता–फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा
त करने के लिए दरख्वास्त पेश कर रखीं हैं। प्रार्थी का विवादग्रस्त भुमि में हिन्दु
तराधिकारी के नातें, अचलाराम पुत्र भीखाराम का पौत्र होने से पैत्रिक भुमि में नौशनल
र से हक–हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार हैं।

चुकि नियम–कानुन एंव प्राकृतिक विधि में सटल लॉ मतानुसार प्रार्थी का पैत्रिक
पति में उत्तराधिकारी स्वरूप जन्म से नोशन शेयर में हक–हिस्सा व काबिज कास्तकार
इसलिए प्रथम–दृष्टियां मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं। और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी
पक्ष में हैं कि प्रार्थी अप्रार्थीगण का वारिस हैं। तथा अपुर्णीय क्षति भी प्रार्थी को रहीं
कि प्रार्थी को हक–हिस्सा नहीं देकर आगे से आगे बेचान कर, अजनबी केताओं से
दखल करवाना चाहते हैं। और यदि अप्रार्थीगण अपने मनसुबों में सफल हो जातें हैं
निश्चित ही क्षति प्रार्थी को ही होगीं। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी
पक्ष में होने से ता–फैसला दावा तक प्रार्थना पत्र में मांगी गई ईस्तदुआ कबुल फरमाई
ाने का निवेदन किया हैं।

सहायक कलेक्टर ग्रामीण

प्रार्थी अधिवक्ता के आग्रह पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर पाया की प्रार्थी अपनी पैत्रिक सम्पति में नौशनल शेयर की खातेदरी घोषणा करवाने का नियमित वाद के निस्तारण में समय लगेगा। तब तक अप्रार्थीगण के नाम की भुमि को खुर्द–बुर्द करने की प्रबल सम्भावना हैं। और प्रार्थी अपने हितो सुरक्षार्थ कानुनी जटिलताऐ बढने से, बचाव में अन्तरिम व्यादेश प्राप्त करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए प्रथम–दृष्टियां मामला, सुविधा का सन्तुलन और अपुर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतित होता हैं। अतेव न्यायालय मतानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हुक्म दिया जाता हैं कि ग्राम पडासला के विवादग्रस्त खसरा नम्बर 450, 452, 455/2, व 1175/1 की भुमि पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को ता–फैसला दावा कायम (कन्फर्म) किया जाता हैं। अप्रार्थीगण उक्त खसरान् की भुमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18/11/2025 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बापिणी

अमिता विश्नोई(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, बापिणी